

सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश सं०...२९९.../२०१७

दिनांक-23.09.2017 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन सं०-01/2012 के तहत समूह "घ" के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित पूर्व का निर्गत आदेश ज्ञापांक-971 दिनांक 09.08.2017 का संशोधित मेधा सूची का प्रारूप प्रकाशन निम्नवत किया जाता है :-

सर्वप्रथम विज्ञापन सं०-01/2012 के तहत समूह-"घ" के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत आदेश ज्ञापांक-971/स्था० दि० 09.08.2017 द्वारा पैनल निर्माण से संबंधित प्रकाशित मेधा सूची, प्राप्त दावा/आपत्ति, MJC No-1767/2016 विक्रमा कुमार साह उर्फ विक्रमा प्रसाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.06.2017 एवं 11.08.2017, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित अन्य आदेश, सामान्य प्र० विभाग, पटना से पत्रांक- 147मू० दिनांक 01.08.2017 द्वारा मांगा गया मार्गदर्शन, विभागीय पत्रांक 10457 दिनांक 17.08.2017 से प्राप्त मार्गदर्शन एवं अन्य सरकारी आदेश/निर्देश से संबंधित निम्न संक्षिप्त विवरण से जिला स्तरीय चयन समिति को अवगत कराया गया।

MJC No-1767/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 30.06.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के निदेश के आलोक में प्रश्नगत वाद से संबंधित विषय का निष्पादन कर अंतिम निष्कर्ष से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने हेतु 6 सप्ताह का समय सीमा निर्धारित किया गया था तथा उक्त समय सीमा के पश्चात् इस वाद को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया था। आदेश का अनुपालन करने की अंतिम तिथि 10.08.2017 थी।

मेधासूची के निर्माण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-147मू० दिनांक 01.08.2017 द्वारा सामान्य प्र० विभाग, पटना से मार्गदर्शन की मांग की गई थी। मार्गदर्शन ससमय प्राप्त नहीं हो सका। दिनांक 09.08.2017 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विज्ञापन सं०- 01/2012 के तहत समूह "घ" के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल निर्माण से संबंधित मेधा सूची का प्रारूप प्रकाशन करते हुए दावा/आपत्ति की मांग दिनांक-31.08.2017 तक की गई साथ ही दिनांक-10.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में संबंधित वाद में पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

पुनः दिनांक 11.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत है :-

"The contempt application now is disposed of with observation that the calendar of the time schedule which has been fixed in the affidavit of the District Magistrate, Saran at Chapra must be strictly adhered to. In case, there is a default then the court will be compelled to initiate contempt proceeding afresh against the District Magistrate holding him personally responsible."

सामान्य प्र० विभाग, बिहार, पटना द्वारा संसूचित पत्रांक 10457 दिनांक 17.08.2017 से मार्गदर्शन दिया गया है जो दिनांक 24.08.2017 को प्राप्त हुआ है, निम्नवत है,

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वांछित परामर्श के प्रसंग में कडिकावार विभागीय मन्तव्य निम्नवत है:-

1. परिपत्र ज्ञापांक 7365 दिनांक 29.06.2011 की कडिका- 2 (iii) में यद्यपि दिनों की संख्या का उल्लेख नहीं है, तथापि उक्त परिपत्र के परिशीलन से ज्ञात होगा कि उक्त प्रावधान 240 दिनों से कम अवधि तक कार्यरत कर्मियों के लिये ही किया गया है।
2. परिपत्र ज्ञापांक 7365 दिनांक 29.06.2011 की कडिका- 2(iv) में यद्यपि दिनों की संख्या का उल्लेख नहीं है, तथापि उक्त परिपत्र के परिशीलन से ज्ञात होगा कि उक्त प्रावधान 240 दिनों से कम अवधि तक कार्यरत कर्मियों के लिए ही किया गया है।
3. उल्लेखनीय है कि नियमावली 2010 अथवा परिपत्र ज्ञापांक 7365 दिनांक 29.06.2011 में वर्णित प्राथमिकताओं में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। विभागीय पत्रांक- 3577 दिनांक 24.04.1997 की

कंडिका- 6 में प्रावधानित है कि "पूर्व पैनेल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वरीयता के अनुसार अधिमानता दी जायेगी" किन्तु बिहार समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 की कंडिका- 16 द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्पों/परिपत्र/अनुदेश आदि को निरसित कर दिया गया है एवं कंडिका- 6(4) के अनुसार पैनेल की वैद्यता एक वर्ष के लिए ही होती है। अतः उचित होगा की सभी अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व पैनेल के उम्मीदवारों की वरीयता का निर्धारण नये सिरे से किया जाय।

सामान्य प्र० विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 7365 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा मार्गदर्शन निम्नवत है :-

- 2(i) जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी हैं जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है, उन्ही रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्य अनुभव को वैद्य कार्यानुभव माना जायेगा।
- 2(ii) चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों के गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिनों की अहर्ता मानते हुए मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।
- 2(iii) रिक्त पदों के अवशेष रहने पर समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालय अनुमंडल कार्यालय, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय इत्यादि में दैनिक पारिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव एवं मानव दिवसों की गणना कर मेधा सूची में द्वितीय प्राथमिकता में रखा जा सकता है।
- 2(iv) समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य Line Department में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के तहत कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव/मानव दिवसों को मेधा सूची में तृतीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।
- 2(v) उपर्युक्त बिन्दुओं में कार्यानुभव/मानव दिवस की गणना समान रहने पर आवेदक को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची के प्राथमिकता में रखा जा सकता है।
- 2(vi) बिना किसी कार्यानुभव वाले आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में चतुर्थ प्राथमिकता पर रखा जा सकता है।

240 दिनों की अहर्ता एक Calendar वर्ष में होने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA.NO-1287/2013 रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक 20.01.2015 को पारित आदेश का सारांश निम्नवत है :-

In the circular dated 29th June 2011 (Lt. No. 7365 dt, 29-06-2011) the Government issued certain guidelines for example it mandates that if, an individual is working on daily wages against the vacant posts carrying emoluments from the Govt. Fund, he shall be considered for appointment against such vacancy. Benefits are conferred upon the persons, who have put in 240 days of work obviously in a calendar year. Other, such benefits were also conferred.

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक..... विधिक-01 (सिवान) 02/2016 दिनांक 14.07.2016 से समाहरणालय सिवान का पत्रांक- 12 मू०/नजारत दिनांक- 04.04.2016 के संबंध में निम्नवत मार्गदर्शन दिया गया है :-

- (i). विभागीय पत्रांक 7365 दिनांक 29.06.2011 के कंडिका 2(i) में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी चयन पदाधिकारी होते हैं तथा जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है उन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्यानुभव को वैद्य कार्यानुभव माना

जा सकता है। अतएव रिक्त पदों से भिन्न पदों पर के दैनिक कार्यानुभव की अधिमानता देय नहीं है।

(ii). विभागीय परिपत्र सं० 7365 दिनांक 29.06.2011 की कंडिका-2(ii) में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिन की अहर्ता को मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 240 दिन के कार्यानुभव को न्यूनतम अहर्ता माना गया है। अतः इससे कम कार्यानुभव की अधिमानता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(iii). समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 की कंडिका- 5 के अनुसार रिक्ति का आकलन प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल को आकलन करने का प्रावधान पैनल निर्माण हेतु किया गया है, नियमावली की कंडिका 6(4) में पैनल की वैधता एक साल तक निर्धारित की गई है एवं उसके आधार पर अगले 31 मार्च तक नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव 31 मार्च तक (पूर्व के वित्तिय वर्ष में) की गई कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना की जा सकती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 779(4) रा० दिनांक 04.08.

2017 एवं संकल्प ज्ञापांक- 283(4) रा० दिनांक 19.06.2013 के कंडिका (iii) के अनुसार जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मचारी यदि उम्र सीमा पार कर चुके हों तब उनको निर्धारित उम्र सीमा में एकबार (One time) छूट प्रदान की जायेगी, बशर्ते जनगणना संगठन में प्रारंभिक नियुक्ति के समय उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा के भीतर थी।

जनगणना 1991 के कुल 80+1 आवेदकों का वर्षवार कार्य दिवस प्रतिवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय के संदर्भित आदेश के साथ आवेदकों का स्वच्छता प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है या नहीं, इस पैनल में उन्हें रखा जा सकता है या नहीं, नियुक्ति के समय उनकी उम्र निर्धारित सीमा के अन्दर थी या नहीं, संबंधी प्रतिवेदन की मांग इस कार्यालय के पत्रांक- 157मू० दिनांक 30.08.2017 स्मार पत्रांक- 163मू० दिनांक 09.06.2017 एवं 164 मू० दिनांक 13.09.2017 से जनगणना निदेशालय, पटना के कार्यालय से की गई थी।

जनगणना निदेशालय से दिनांक 16.09.2017 (पत्रांक 1535 दि० 12.09.2017) को प्राप्त प्रतिवेदानुसार 76 कर्मियों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कराया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि सूची के 8 कर्मियों का उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा 6 कर्मियों की नियुक्ति दुसरे जिला में की जा चुकी है।

डी०डी०टी० छिड़काव कर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No-1287/2013, रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार वगै० एवं अन्य LPA वाद में दिनांक- 20.01.2015 को पारित आदेश का सारांश निम्नवत है :-

In the circular dated 29th June 2011, the Govt issued certain guidelines for example, it mandates that if, an individual is working on daily wages against the vacant post carrying the emoluments from the Govt fund, he shall be considered for appointment against such vacancy. Benefits are conferred upon the persons, who have put in 240 days of work obviously in a calendar year. Other such benefits were also conferred.

We find it difficult to fit the appellants in to any such category. After verification of the relevant facts as well as the circulars the District Magistrate has taken the view that the appellants can be included in the 4th priority List.

We do not find any basis to interfere with the order passed by the District Magistrate or the one passed by the learned single judge.

विज्ञापन संख्या- 01/2012 में नियोजनालय के माध्यम से अंतिम तिथि 31.07.2012 तक कुल 10451 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन पत्र का डेटाबेस पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णयानुसार तैयार कर प्रकाशित किया गया था। डेटाबेस के अनुसार आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र में दिये गये कार्यानुभव/मानव दिवसों का सत्यापन कर वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवस प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभाग के कार्यालय प्रधान से इस कार्यालय के पत्रांक-1972 दिनांक-18.12.2012, 1127 दिनांक 14.10.2016, 83 दिनांक-27.01.2017, 288 दिनांक-09.03.2017, 501 दिनांक-22.04.2017, 624 दिनांक-26.05.2017, अर्द्धसरकारी पत्र सं0-799 दिनांक-08.07.2017, 822 दिनांक-12.07.2017, 833 दिनांक-14.07.2017, 853 दिनांक 19.07.2017, 873 दिनांक-24.07.2017, 874 दिनांक-24.07.2017 एवं अंतिम स्मार पत्रांक-937/स्था0 दि0-03.08.17 द्वारा अनुरोध किया गया था। सारण जिला के बाहर के कार्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के फलस्वरूप चयन समिति की दिनांक 25.07.2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विभिन्न समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी गयी कि सारण जिला के बाहर के कार्यालयों से दिनांक-02.08.2017 तक आवेदकों का रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षवार कार्यदिवस/कार्यानुभव संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदकों के कार्यानुभव को शून्य मानते हुए तदनुसार पैनल निर्माण की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

संबंधित विभाग से आवेदकों के संबंध में प्राप्त कार्यानुभव प्रतिवेदन को विहित प्रपत्र में टंकित कराते हुए दिनांक-09.08.2017 को चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार आदेश ज्ञापांक- 971/स्था0 दिनांक-09.08.2017 से पैनल निर्माण से संबंधित मेधा सूची का प्रारूप प्रकाशन करते हुए दिनांक 31.08.2017 तक आवेदकों से निबंधित डाक द्वारा दावा/आपत्ति की मांग किया गया था। आवेदकों से कुल-888 दावा/आपत्ति से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसकी तैयार की गई विवरणी की निराकरण पर चर्चा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन, उपरोक्त वर्णित माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश एवं दिनांक-15.09.2017 को आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अलोक में सर्व सम्मति से निम्नवत निर्णय लिया गया है।

क- विज्ञापन सं0-01/2012 में उल्लेखित अंतिम तिथि 31.07.2012 तक कुल-10451 प्राप्त आवेदन पत्रों को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7365 दिनांक-29.06.2011 एवं प्राप्त मार्गदर्शन पत्रांक-10457 दिनांक 17.08.2017 के आलोक में निम्नवत के अनुसार प्राथमिकता सूची वर्गीकृत की गयी है। कोटिवार आवेदनों की संख्या निम्नवत पाई गई है :-

1. रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों के वैद्य कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर प्रतिवर्ष न्यूनतम 240 दिन कार्य करने वाले आवेदकों की प्रथम प्राथमिकता के तहत कुल संख्या :- 16
2. समाहरणालय/अनुमंडल/प्रखण्ड एवं अंचल में कार्य करने वाले आवेदकों की द्वितीय प्राथमिकता के तहत कुल संख्या:- 77
3. लाईन डिपार्टमेन्ट में कार्य करने वाले आवेदकों की तृतीय प्राथमिकता के तहत कुल संख्या :- 06
4. बिना किसी कार्य अनुभव वाले आवेदकों की चतुर्थ प्राथमिकता के तहत कुल संख्या :- 9210
5. निर्धारित अहर्ता नहीं रखने वाले आवेदकों की कुल संख्या :- 1142

ख- जिला परिषद, नगर परिषद, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, आत्मा, डी0आर0डी0ए0/अभिकरण एवं अन्य संस्था, सोसाइटी स्थानीय स्वशासन के कार्यालय, लाईन डिपार्टमेन्ट की श्रेणी में नही आने के कारण इन संस्था में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले को पैनल में कार्य अनुभव के आधार पर कोई अधिमानता नहीं दिये जाने एवं इसी प्रकार पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव

की अधिमानता नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति में प्राप्त एन0आर0एच0एम0की राशि से होता है।

- ग- बाढ़ सहाय्य, डी0डी0टी0 छिड़काव, पल्स पोलियो, पशु टिकाकरण जनगणना (जनगणना 1991 को छोड़कर) एवं अन्य ऐसे आकस्मिक (मौसमी कार्य के समय काफी कम समय के लिए काफी संख्या में दैनिक मजदूर) कर्मियों को रखकर कार्य लिया जाता है जो स्वीकृत बल के अर्न्तगत कार्यरत नहीं होते हैं, ऐसे मौसमी कार्य करने वाले दैनिक मजदूर के कार्यानुभव को वैध कार्यानुभव नहीं माना जायेगा।
- घ- भारत निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेसनोट जारी हो जाने के बाद से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि में निर्वाचन हेतु स्वीकृत बल से बहुत अधिक संख्या में दैनिक मजदूरों से काम लिया जाता है जिनके कार्यानुभव की अधिमानता नहीं दी जायेगी।
- ङ- बेल्ट्रान के द्वारा प्रतिनियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर व अन्य कम्प्यूटर आपरेटर व अन्य संस्था के द्वारा रखे गये कम्प्यूटर आपरेटर, विकासमित्र, न्यायमित्र, शिक्षासेवी, सचिव, ग्राम कचहरी, सहायिका, किसान सलाहकार के कार्य को भी कार्यानुभव के रूप में अधिमानता नहीं दी जायेगी।
- च- समूह "घ" के बदले अन्य रिक्त पद के विरुद्ध कार्य किये जाने, किये गये कार्य दिवसों की संख्या वर्षवार प्रतिवेदित नहीं किये जाने बिहार सरकार की राशि से भुगतान नहीं किये जाने के कारण भी कार्यानुभव के रूप में अधिमानता नहीं दी जायेगी।
- छ- उपरोक्त के अनुसार जिसका कार्यानुभव मान्य नहीं है उसके संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन में दर्शाये गये कार्यानुभव को शून्य मानते हुए प्राथमिकता कोटि 4 में अधिक उम्र के आधार पर रखा गया है।
- ज- विज्ञापन सं0 01/2012 के आलोक में निर्धारित अहर्ता धारण नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया है।
- झ- राजस्व एवं भु0सु0 विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 779(4) रा0 दिनांक 04.08.2017 एवं संकल्प ज्ञापांक- 283(4) रा0 दिनांक 19.06.2013 के आलोक में जनगणना 1991 के छटनीग्रस्त कर्मचारियों का मेधा सूची पैनल में सम्मिलित किया गया है।
- ञ- डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No.- 1287/2013, रामबहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार वगै0 एवं अन्य LPA वाद में दिनांक 20.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में उन्हें मेधा सूची पैनल के चतुर्थ प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। परिणामस्वरूप प्राप्त कार्यानुभव प्राथमिकता सूची(4) में नहीं दर्शाया गया है।
- ट- सामान्य प्र0 विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में सभी अहत्ताओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व पैनल के उम्मीदवारों की वरीयता का निर्धारण नये सिरे से किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तदनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
- ठ- विज्ञापन में रिक्ति का प्रकाशन नहीं हो सका है पर निर्णय लिया गया कि विज्ञापन के प्रकाशन के पूर्व जो रोस्टर पंजी क्लीयर हुआ है उसी रिक्ति को आधार मानकर पैनल तैयार किया जायेगा।
- ड- भविष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं सामान्य प्र0 विभाग के निर्गत पत्र के आलोक में तदनुसार परिवर्तन हो सकेगा।

आवेदकों से प्राप्त कुल 888 दावा/आपत्ति से संबंधित निराकरण की विवरणी को सर्व सम्मति से अनुमोदित करते हुए सारण जिला के वेबसाईट पर Upload करने एवं इसका अभिलेख संधारित करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि-31.08.2017 के बाद दावा/आपत्ति से संबंधित 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसपर विचारण संभव नहीं है।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत पूर्व का निर्गत आदेश ज्ञापांक-971 दि0-09.08.2017 का संशोधित पैनल निर्माण मेधा सूची का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया है साथ ही निदेश दिया गया कि इसे सारण जिला के वेबसाईट-www.saran.bih.nic.in पर Upload किया जाय, साथ ही इसकी सूचना सामाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय कि आवेदक इसके संबंध में अपना दावा/आपत्ति निबंधित डाक से स्थापना उप समाहर्ता, सारण, छपरा के पता पर दिनांक10.10.2017.....तक दे सकेंगे ताकि उसके निष्पादनोपरान्त पैनल संबंधित मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सके। निर्धारित तिथि10.10.2017. के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार संभव नहीं होगा। आवेदक दावा/आपत्ति आवेदन पत्र देते समय आवेदन पत्र में अपना मेधा सूची का क्रमांक, ID संख्या एवं जन्मतिथि का उल्लेख निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे।


ह0/-

जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1242 / स्था0, दिनांक 23.9.2017

प्रतिलिपि :

जिला आई0टी0 मैनेजर, सारण/जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सारण को सूची के साथ सारण जिला के वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा।